राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

विषयः—भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का मार्च 2024 को समाप्त हुई अवधि के लिए राजस्थान में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर भिजवाने एवं अनियमितताओं के लिए वांछित कार्रवाई कराने के संबंध में।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का मार्च 2024 को समाप्त हुई अवधि के लिए राजस्थान में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राजस्थान विधान सभा में दिनांक 21—08—2026 को उपस्थापित किया जा चुका है। उक्त प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की वेबसाइट https://cag.gov.in तथा महालेखाकार (लेखापरीक्षा—II), राजस्थान, जयपुर की वेबसाइट https://cag.gov.in/ag2/ rajasthan पर उपलब्ध है।

जैसा कि आपको विदित है भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का मार्च 2024 को समाप्त हुई अवधि के लिए राजस्थान में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर महालेखाकार (लेखापरीक्षा—II), राजस्थान से संवीक्षोपरान्त राजस्थान विधान सभा (जन लेखा समिति) को प्रतिवेदन के सदन में उपस्थापित किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि में आवश्यक रूप से भिजवाए जाने हैं। पूर्व में कतिपय विभागों द्वारा निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रेषित नहीं करने को समिति ने अत्यधिक गंभीरता से लिया है तथा शासन को निर्देश दिये है कि भविष्य में उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

अतः उक्त प्रतिवेदन में समाविष्ट आपके विभाग/अधीनस्थ विभागों से संबंधित समस्त अनुच्छेदों के उत्तर निर्धारित समयावधि तीन माह (दिनांक 20—1 —2026 तक) में महालेखाकार (लेखापरीक्षा—II), राजस्थान से संवीक्षोपरान्त राजस्थान विधान सभा (जन लेखा समिति) को 30 प्रतियों में भिजवाने का कष्ट करावें। राजस्थान विधान सभा को भिजवाये जाने वाले संवीक्षित उत्तर की चार प्रतियां महालेखाकार (लेखापरीक्षा—II), राजस्थान तथा एक प्रति वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भिजवाए जाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करावें। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवेदन में दर्शाई गई अनियमितताओं को मध्यनजर रखते हुए भविष्य के लिए व्यवस्था सुधार एवं अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने की दृष्टि से समुचित शासकीय निर्देश जारी किये जाकर उनकी पालना सुनिश्चित कराने की कार्रवाई भी अमल में लायी जानी अपेक्षित है।

(वैभव गालरिया)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

अ.शा. टीप. क्रमांकः प. 1(10) वित्त/अंकेक्षण/2026 जयपुर, दिनांकः— 07/9/26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. महालेखाकार (लेखापरीक्षा—I)/महालेखाकार (लेखापरीक्षा—II), राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग एवं समस्त विशिष्ट/संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
4. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), वित्त (कम्प्यूटर सैल) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(ब्रह्म प्रकाश शर्मा)
उप शासन सचिव